



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1412]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2018 / चैत्र 21, 1940

No. 1412]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2018/CHAITRA 21, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2018

आय-कर

का.आ.1558(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 9क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 के नियम 10फक में उपनियम (2) में “सदस्य (आय-कर) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली” के शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर, “विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग (एफटी और टीआर) का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने वाला सदस्य केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली” शब्द रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 19/2018/फा.सं. 142/15/2015-टीपीएल]

नीरज कुमार, अवर सचिव (कर नीति और विधायन)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि.352(अ), तारीख 9 अप्रैल, 2018 द्वारा संशोधित किए।